

अनुदान संख्या 29- पर्यावरण और वन मंत्रालय
GRANT No. 29-MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित-	Charged-			
पूरक	Supplementary	21,00	21,00	.. -21,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			Nil
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	1495,63,00	1498,67,00	1351,50,00
पूरक	Supplementary	3,04,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			128,45,80
पूंजीगत:	Capital:			
प्रभारित-	Charged-			
पूरक	Supplementary	60,00	60,00	59,49 -51
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			Nil
स्वीकृत-	Voted-		24,51,00	19,21,80 -5,29,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			4,24,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, दिसम्बर, 2006 में पूरक अनुदान के माध्यम से प्राप्त किया गया 21.00 लाख रु. का विनियोग मुख्य शीर्ष "2406" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

1. In the charged portion of the revenue section of the grant, appropriation of Rs.21.00 lakhs obtained through supplementary in December, 2006 remained wholly unutilised in one case under Major Head "2406".

2. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (14717.00 लाख रु.) मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 304.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत थीं।

2. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.14717.00 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.304.00 lakhs obtained in March, 2007 and constituted 10 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat – Economic Services			
मू.	O. 1341.00	1440.00	1307.98	-132.02
पू.	S. 99.00			
मुख्य शीर्ष "2406" वानिकी तथा वन्य जीव	Major Head "2406" Forestry and Wild Life			
मू.	O. 46437.00	49673.91	49674.16	+0.25
पू.	S. 123.00			
पु.	R. 3113.91			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O. 13390.00
पु.	R. -13390.00			
मुख्य शीर्ष "3435" परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण	Major Head "3435" Ecology and Environment			
मू.	O. 73464.00	66264.29	64552.43	-1711.86
पू.	S. 82.00			
पु.	R. -7281.71			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O. 14921.00	19643.00	19615.43	-27.57
पु.	R. 4722.00			

(1) 13505.16 लाख रु. का प्रावधान (मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 0.25 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) तीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 13000.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(का) "वानिकी - शिक्षा और प्रशिक्षण - भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद्" - 500.00 लाख रु.;

(खा) "पर्यावरण वानिकी - वन्य जीव - वन्य जीव परिरक्षण - केंद्रीय प्राणिउद्यान प्राधिकरण" - 300.00 लाख रु.;

(गा) "वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम"-

(क) "राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड" - 300.00 लाख रु.;

(ख) "राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम" - 5000.00 लाख रु.;

(घा) "पर्यावरण अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्भवण/ शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तार - पर्यावरण शिक्षा और प्रशिक्षण स्कीम" - 250.00 लाख रु.;

(ङ) "राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण का निवारण और उन पर नियंत्रण - राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम" - 700.00 लाख रु.;

(चा) "वानिकी - वानिकी संरक्षण विकास और पुनरुद्भवण" -

(क) "एकीकृत वन संरक्षण स्कीम" - 2500.00 लाख रु.;

(ख) मुली बांसों का वृद्ध पुष्पण" - 2500.00 लाख रु.;

(छा) "पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव - वन्य जीव संरक्षण" -

(क) "परियोजना बाघ - राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों को सहायता" - 250.00 लाख रु.;

(I) Provision of Rs.13505.16 lakhs (including supplementary grant of Rs.0.25 lakhs obtained in March, 2007) remained wholly unutilised under thirty heads; of these Rs.13000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" under the following heads:-

(A) "Forestry – Education and Training – Indian Council of Forestry Research and Education" – Rs.500.00 lakhs;

(B) "Environment Forestry – Wild Life – Wild Life Preservation - Central Zoo Authority" – Rs.300.00 lakhs;

(C) "Afforestation and Eco – Development National Afforestation and Ecology Development Programme" –

(a) "National Afforestation and Ecology - Development Board" – Rs.300.00 lakhs;

(b) "National Afforestation Programme" – Rs.5000.00 lakhs;

(D) "Environment Research and Ecology Regeneration/Education/Training/Extension – Environment Education and Training Scheme" – Rs.250.00 lakhs;

(E) "Prevention and Control of Pollution of National Rivers – National River Conservation Programme" – Rs.700.00 lakhs;

(F) "Forestry – Forest Conservation Development and Regeneration" –

(a) "Integrated Forest Protection Scheme" – Rs.2500.00 lakhs;

(b) "Gregarious Flowering of Muli Bamboos" – Rs.2500.00 lakhs;

(G) "Environmental Forestry and Wildlife – Wild Life Preservation" –

(a) "Project Tiger – Assistance to National Park and Sanctuaries" – Rs.250.00 lakhs;

(ख) "परियोजना हाथी" - 250.00 लाख रु.; और

(b) "Project Elephant" – Rs.250.00 lakhs; and

(जा) "पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव - प्राण्डिद्यान - राष्ट्रीय उद्यानों के विकास के लिए सहायता" - 450.00 लाख रु.।

(H) "Environmental Forestry and Wildlife – Zoological Park – Assistance for Development of National Parks" – Rs.450.00 lakhs.

उपर्युक्त ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत बचतें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Savings under the above eleven heads were due to re-appropriation of funds to the functional heads for utilisation on the projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - पर्यावरण और वन मंत्रालय" के अंतर्गत 1341.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 99.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1440.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 132.02 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) कम स्थापना व्यय के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Ministry of Environment and Forests" – the original provision of Rs.1341.00 lakhs was augmented to Rs.1440.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.99.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.132.02 lakhs (including supplementary grant) due to less establishment expenditure.

(III) मुख्य शीर्ष "2406" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(III) Under Major Head "2406" – savings occurred under the following heads:-

(का) "वानिकी - वन संसाधनों का सर्वेक्षण और उपयोग - भारतीय वन सर्वेक्षण" - 132.60 लाख रु. की बचत (1153.20 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वन प्रबंधन संस्थान द्वारा किफायती उपायों और सहायता अनुदानों में अभ्यर्षण के अंतर्गत अनिवार्य कटौती किए जाने और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी और भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण द्वारा वेतन और घरेलू दौरो में कम व्यय किए जाने के कारण हुई।

(A) "Forestry – Survey and Utilisation of Forest Resources – Forest Survey of India" – saving of Rs.132.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1153.20 lakhs) was due to mandatory cut under economy measures and surrender in Grants-in-aid by Institute of Forest Management and less expenditure on salary and domestic tours by Indira Gandhi National Forest Academy and Botanical Survey of India.

(खा) "वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम - राष्ट्रीय वनरोपण - पारिस्थितिकी विकास बोर्ड" - 591.90 लाख रु. (1730.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) थे; और

(B) "Afforestation and Eco- Development – National Afforestation and Eco-Development Programme - National Afforestation - Eco-Development Board" – Rs.591.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1730.00 lakhs); and

(IV) मुख्य शीर्ष "3435" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(IV) Under Major Head "3435" – savings occurred under the following heads:-

(का) "सर्वेक्षण (वानस्पतिक) - अनुसंधान - क्षेत्रीय कार्यालय" - 106.94 लाख रु. (799.13 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) थे।

(A) "Survey (Botanical) – Research - Regional Offices" - Rs.106.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.799.13 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों के न भरे जाने और उपयोग प्रमाणपत्रों के प्राप्त न होने की वजह से राज्य सरकारों को सहायता अनुदान जारी न किए जाने के कारण हुई।

- (खा) “प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण” -
- (क) “राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण का निवारण” -
- (i) “राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम” - 606.55 लाख रु. की बचत (6000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्रों के प्राप्त न होने के कारण राज्यों को कम निधियां जारी किए जाने के कारण हुई।
- (ii) “राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम” - 8224.30 लाख रु. की बचत (36300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से ब्योरेवार परियोजना रिपोर्ट प्राप्त न होने और पिछले वर्ष के अव्ययित शेषों की उपलब्धता होने की वजह से राज्य सरकारों को निधियां कम जारी किए जाने के कारण हुई।
- (ख) “वायु और जल प्रदूषण का निवारण - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड” - 448.76 लाख रु. की बचत (मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 5160.76 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से बिलों के प्राप्त न होने और परियोजनाओं को कम अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुई।
- (गा) “अन्य - अन्य व्यय” -
- (क) “सूचना प्रौद्योगिकी” - 419.88 लाख रु. की बचत (623.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय द्वारा डैस्कटोप, मुद्रकों और सहायक सामग्री की पूर्ति में विलंब किए जाने के कारण हुई।
- (ख) “जलवायु परिवर्तन परियोजना” - 160.58 लाख रु. की बचत (मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 0.05

Savings under the above two heads were due to non-filing up of vacant posts and less release of Grants-in-aid to State Governments owing to non-receipt of utilisation certificates.

- (B) “Prevention and Control of Pollution”-
- (a) “Prevention of Pollution of National Rivers”-
- (i) “National Lake Conservation Programme” - saving of Rs.606.55 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6000.00 lakhs) was due to less release of funds to states due to non-receipt of utilisation certificates.
- (ii) “National River Conservation Programme” - saving of Rs.8224.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.36300.00 lakhs) was due to non-receipt of Detailed Project Report from National Capital Territory of Delhi and less release of funds to State Governments owing to availability of unspent balances of previous year.
- (b) “Prevention of Air and Water Pollution - Central Pollution Control Board” - saving of Rs.448.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5160.76 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in March, 2007) was due to non-receipt of bills from various State Pollution Control Boards by the Central Pollution Control Board and less approval of projects.
- (C) “Others – Other Expenditure” -
- (a) “Information Technology” - saving of Rs.419.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.623.00 lakhs) was due to delay in supply of desktops, printers and peripherals by the Directorate General of Supplies and Disposals.
- (b) “Climate Change Project” - saving of Rs.160.58 lakhs (against the sanctioned

लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 567.05 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सी ओ पी के आयोजन से संबंधित ओजोन कक्ष के लिए निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई ।

(V) सात शीर्षों के अंतर्गत 498.38 लाख रु. की बचतें (0.05 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 55 प्रतिशत तक थीं ।

3. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (4027.18 लाख रु.) प्रयुक्त हो गई जिसमें से 2804.40 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 304.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिए गए थे:-

(का) मुख्य शीर्ष "2406" -

(क) "वानिकी" -

(i) "शिक्षा और प्रशिक्षण" - "भारतीय वन प्रबंधन संस्थान" - 167.00 लाख रु. । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 122.45 लाख रु. था ।

(ii) "अनुसंधान" -

(1) "भारतीय वानिकी अनुसंधान और शैक्षिक परिषद्" - 232.00 लाख रु. । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 231.96 लाख रु. था ।

(2) "भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान" - 118.40 लाख रु. । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 119.85 लाख रु. था ।

(3) "भारतीय वानिकी अनुसंधान और शैक्षिक परिषद्" - 200.00 लाख रु. । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 199.96 लाख रु. था ।

(ख) "पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव - वन्य जीव परिरक्षण" -

provision of Rs.567.05 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.05 lakh obtained in March, 2007) was due to less requirement of funds for Ozone Cell for organizing COP.

(V) Under seven heads savings of Rs.498.38 lakhs (including supplementary grant of Rs.0.05 lakh) occurred each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 11 percent to 55 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (Rs.4027.18 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation out of which Rs.2804.40 lakhs were reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.304.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "2406" -

(a) "Forestry" -

(i) "Education and Training" - "Indian Institute of Forest Management" - Rs.167.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.122.45 lakhs.

(ii) "Research" -

(1) "Indian Council of Forestry Research and Education" - Rs.232.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.231.96 lakhs.

(2) "Indian Plywood Industries Research Institute" - Rs.118.40 lakhs. Actual excess, however, was Rs.119.85 lakhs.

(3) "Indian Council of Forestry Research and Education" - Rs.200.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.199.96 lakhs.

(b) "Environmental Forestry and Wildlife - Wildlife Preservation" -

- (i) "भारतीय वन्य जीव संस्थान" - 200.00 लाख रु. । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 199.85 लाख रु. था ।
- (ii) "पशुओं का कल्याण" - 187.00 लाख रु. । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 172.89 लाख रु. था ।
- (iii) "केंद्रीय प्राणिउद्यान प्राधिकरण" - 663.00 लाख रु. । (संसद को 363.00 लाख रु सूचित किए गए) तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 662.85 लाख रु. था ।
- (खा) मुख्य शीर्ष "3435" -
- (क) "पर्यावरण अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्भवन" -
- (i) "पर्यावरणीय/शैक्षिक प्रशिक्षण/विस्तार - "पर्यावरणीय शैक्षिक और प्रशिक्षण स्कीमें" - 748.90 लाख रु. का अधिक व्यय (संसद को 500.00 लाख रु. सूचित किए गए)। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 366.61 लाख रु. था ।
- (ii) "संरक्षण कार्यक्रम" -
- (1) "मैंग्रोव पारिस्थितिकी-प्रणाली" - 100.00 लाख रु. । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 99.66 लाख रु. था ।
- (2) "आर्द्र भूमि" - 60.00 लाख रु. । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 52.06 लाख रु. था ।
- (iii) "अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्भवन - हिमालय संबंधी अनुसंधान और विकास" - 114.00 लाख रु. । तथापि, अधिक व्यय 113.90 लाख रु. था ।
- (ख) "अन्य - अन्य व्यय" -
- (i) "जैव-विविधता संरक्षण सामान्य संघटक" - 250.00 लाख रु. । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 209.36 लाख रु. था ।
- (ii) "प्रदूषण के उपशमन, पर्यावरण नीति और विधि के लिए सहायता" - 316.88 लाख रु. । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 302.52 लाख रु. था ।
- (i) "Wildlife Institute of India – Rs.200.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.199.85 lakhs.
- (ii) "Welfare of Animal"- Rs.187.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.172.89 lakhs.
- (iii) "Central Zoo Authority" – Rs.663.00 lakhs (Rs.363.00 lakhs reported to Parliament). Actual excess, however, was Rs.662.85 lakhs.
- (B) Major Head "3435" –
- (a) "Environment Research and Ecological Regeneration"-
- (i) "Environmental/Education Training/ Extension - Environmental Education and Training Schemes"- excess of Rs.748.90 lakhs (Rs.500.00 lakhs reported to Parliament). Actual excess, however, was Rs.366.61 lakhs.
- (ii) "Conservation Programme" -
- (1) "Mangroves Eco-System" – Rs.100.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.99.66 lakhs.
- (2) "Wetlands"- Rs.60.00 lakhs. Actual excess, however was Rs.52.06 lakhs.
- (iii) "Research and Ecological Regeneration - Himalayan Research and Development" - Rs.114.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.113.90 lakhs.
- (b) "Others – Other Expenditure " –
- (i) "Bio-diversity Conservation General Component" – Rs.250.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.209.36 lakhs.
- (ii) "Assistance for Abatement of Pollution, Environment Policy and Law" – Rs.316.88 lakhs. Actual excess, however, was Rs.302.52 lakhs.

(iii) "खतरनाक पदार्थ प्रबंधन" - 170.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 166.18 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई:-

(का) मुख्य शीर्ष "2406" - "वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम - राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम" - 1799.60 लाख रु. का अधिक व्यय (27458.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनिर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3435" - "पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्भव - अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्भव - पारिस्थितिकी विकास बल" - 120.10 लाख रु. का अधिक व्यय (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पारिस्थितिकी कार्य बल बटालियनों के लंबित बिलों का समाशोधन किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" -

(क) "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान" -

(i) "पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्भव - संरक्षण कार्यक्रम" -

(1) "मैंग्रोव पारिस्थितिकी प्रणाली" - 149.96 लाख रु. का अधिक व्यय (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कच्छ वनस्पति वाले नए शहरों की पहचान किए जाने के कारण हुआ।

(2) "जीव-मंडल रिजर्व" - 259.80 लाख रु. का अधिक व्यय (410.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(1) "आर्द्र भूमि" - 229.50 लाख रु. का अधिक व्यय (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ii) "वानिकी - वन संरक्षण विकास और पुनरुद्भव" -

(iii) "Hazardous Substance Management" - Rs.170.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.166.18 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2406" - "Afforestation and Eco-Development - National Afforestation and Eco-Development Programme - National Afforestation Programme" - excess of Rs.1799.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.27458.00 lakhs) - due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "3435" - "Environmental Research and Ecological Regeneration - Research and Ecological Regeneration - Eco-Development Forces" - excess of Rs.120.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to clearance of pending bills of Eco Task Force battalions.

(C) Major Head "3601" -

(a) "Grants for Central Plan Schemes" -

(i) "Environmental Research and Ecological Regeneration - Conservation Programme" -

(1) "Mangroves Eco-System" - excess of Rs.149.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to identification of new Mangroves cities.

(2) "Biosphere Reserves" - excess of Rs.259.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.410.00 lakhs);

(3) "Wetlands" - excess of Rs.229.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs);

(ii) "Forestry - Forest Conservation Development and Regeneration" -

- (1) "एकीकृत वन संरक्षण स्कीम" - 294.91 लाख रु. का अधिक व्यय (4500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (2) "मुली बांसों का वृंद पुष्पण" - 2482.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ख) "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" -
- (i) "पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव - वन्य जीव संरक्षण" -
- (1) "परियोजना बाघ - राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को सहायता" - 439.86 लाख रु. का अधिक व्यय (2850.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (2) "परियोजना हाथी" - 250.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1259.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और
- (ii) "पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव - प्राणिउद्यान - राष्ट्रीय पार्क के विकास के लिए सहायता" - 700.00 लाख रु. का अधिक व्यय (4800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।
- (घा) मुख्य शीर्ष "2406" - "वानिकी - शिक्षा एवं प्रशिक्षण - भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद" - 500.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।
- (1) "Integrated Forest Protection Scheme"- excess of Rs.294.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4500.00 lakhs);
- (2) "Gregarious Flowing of Muli Bamboos" - excess of Rs.2482.00 lakhs (against nil provision);
- (b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -
- (i) "Environmental Forestry and Wildlife - Wildlife Preservation" -
- (1) "Project Tiger - Assistance to National Parks and Sanctuaries"-excess of Rs.439.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2850.00 lakhs);
- (2) "Project Elephant" – excess of Rs.250.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1259.00 lakhs); and
- (ii) "Environmental Forestry and Wildlife-Zoological Park - Assistance for Development of National Park"- excess of Rs.700.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4800.00 lakhs).
- (D) Major Head "2406" - "Forestry - Education and Training - Indian Council of Forestry Research and Education" - excess of Rs.500.00 lakhs (against nil provision).

उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर व्यय को पूरा करने के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above eight heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" for meeting expenditure on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत 136.31 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत और 17 प्रतिशत था।

(III) Under two heads excess of Rs.136.31 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 13 percent and 17 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

4. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)				
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "5425" अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5425" Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research			
मू.	O.	902.00	688.00	591.18
पु.	R.	-214.00		
मुख्य शीर्ष "6406" वानिकी और वन्य जीव के लिए कर्ज	Major Head "6406" Loans for Forestry and Wild life			
मू.	O.	1350.00	1049.00	1049.00
पु.	R.	-301.00		

(I) मुख्य शीर्ष "5425" - पारिस्थितिकी और पर्यावरण - नए सिविल निर्माण कार्य" के अंतर्गत 287.78 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण, इटानगर और भारतीय वानस्पतिक उद्यान, कोलकाता में कार्य परियोजनाओं को अंतिम रूप देने में विलंब होने के कारण हुई ।

(I) Under Major Head "5425" - "Ecology and Environment - New Civil Works" - saving of Rs.287.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to delay in finalisation of work projects in Botanical Survey of India, Itanagar and Botanical Garden of India, Kolkata.

(II) मुख्य शीर्ष "6406" - "वन संरक्षण विकास और पुनरुदभवन - अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह वन बागान विकास निगम को कर्ज" के अंतर्गत 301.00 लाख रु. की बचत (1350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह वन बागान विकास निगम से कर्ज की कम आवश्यकता होने के कारण हुई ।

(II) Under Major Head "6406" - "Forest Conservation Development and Regeneration - Loans to Andaman and Nicobar Island Forests Planatation Development Corporation" - saving of Rs.301.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1350.00 lakhs) was due to less requirement of loan from Andaman and Nicobar Island Forest Plantation Development Corporation.

5. उपर्युक्त बचतें एक शीर्ष के अंतर्गत 82.62 लाख रु. के अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं जो स्वीकृत प्रावधान का 42 प्रतिशत थीं ।

5 The above savings were partly offset by an excess of Rs.82.62 lakhs under one head constituting 42 percent of the sanctioned provision.